भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *190 जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2011 को दिया जाना है ।

.....

राष्ट्रीय जल नीति तैयार किया जाना

*190. श्री एन.के. सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि देश की निदयों के जल से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान हेत् नई जल नीति की आवश्यकता है ;
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;
- (ग) क्या यह भी सच है कि जल संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ वर्ष पूर्व 'राष्ट्रीय जल नीति' तैयार की गई थी ; और
- (घ) यदि हां, तो उक्त नीति कब तक तैयार की गई थी और उस नीति के अन्तर्गत समस्याओं का समाधान करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कब-कब कार्यान्वित की गई थीं?

उत्तर

संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

राष्ट्रीय जल नीति तैयार किये जाने के संबंध में 5.12.2011 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वले तारांकित प्रश्न सं. *190 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख) भारत में विश्व की जनसंख्या के 17 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है, परंतु विश्व के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत तथा विश्व के भूमि क्षेत्र का 2.6 प्रतिशत मौजूद है। समय और स्थान संबंधी जल का असमान वितरण होने के कारण उपयोग करने लायक जल की मात्रा अति सीमित है। जनसंख्या में वृद्धि और तीव्रता से विकसित हो रहे देश की बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संकेतों के कारण उपयोग करने लायक जल की उपलब्धता भविष्य में और कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यहां असमान वितरण और जल संसाधनों की आयोजना, प्रबंधन और उपयोग में समरूप नजरिए की कमी है। अतः भारत सरकार ने सतत और समान विकास को स्निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा प्रारंभ की है।

(ग) एवं (घ) राष्ट्रीय जल नीति को वर्ष 1987 में पहली बार तैयार किया गया था जिसकी तदुपरांत समीक्षा की गई तथा वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा एक संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों और उनके कार्यान्वयन की तिथि का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

राष्ट्रीय जल नीति तैयार किए जाने के संबंध में 5.12.2011 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *190 के (ग) और (घ) भाग के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों के अनुपालन में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई स्कीमें

<u>ж</u> п	ग्राहरीय जन नीनि २००२ में अजनंद	चन मंग्राधन मंग्राच्या दनाम नैयार की गर्द
क्रम सं.	राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में अनुबंध	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई
		स्कीमें, कार्यान्वयन की तारीख सहित
1	2.1 संसाधन आयोजना के लिए जल संबंधी	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास :
	आंकड़ों की, उनके समग्र स्वरूप में,	एक जल संसाधन सूचना प्रणाली को विकसित करना
	राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर एक सुविकसित	और इसका अति शीघ पूर्ण रूप से प्रचालन करना
	सूचना प्रणाली होना परम आवश्यक है।	
	आंकड़ा आधारों के वर्तमान केंद्रीय और	इस स्कीम को 1.4.2007 से प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय
	राज्य स्तर के अभिकरणों को एकीकृत	योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था।
	तथा सुदृढ़ करते हुए और आंकड़ों की	
	गुणवत्ता एवं प्रक्रमण क्षमताओं में सुधार	
	लाकर डॉटा बैंक एवं डाटा आधार के	
	नेटवर्क सहित एक मानकीकृत राष्ट्रीय	
	सूचना प्रणाली की स्थापना की जानी	
	्र चाहिए।	
2	3.2 जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन की	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण:
	आयोजना, मात्रात्मक और गुणवत्ता	स्कीम का उद्देश्य संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और
	पहलुओं और पर्यावरणीय दृष्टि से ध्यान	सभी पणधारियों की आशाओं को पूरा करने के लिए
	दी जाने वाली बातों को शामिल करते हुए	अति समुचित विकल्पों को अभिज्ञात करने के
	सतही और भूमि जल के स्थायी उपयोग	मद्देनजर सभी बेसिन राज्यों को आवश्यक अध्ययनों
	को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से जल	और मूल्यांकन इत्यादि को प्रारंभ करने हेतु एक मंच
	निकास बेसिन अथवा उप-बेसिन, बह्क्षेत्रीय	उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए नदि, बेसिन
	जल विज्ञानीय इकाई के लिए, करनी	संगठन बनाने को बढ़ावा देना है।
	होगी । प्रत्येक विकासात्मक परियोजना	
	और प्रस्ताव को बेसिन अथवा उप-बेसिन	इस स्कीम को पूर्व की योजना अवधियों के दौरान भी
	हेतु मौजूदा समझौतों / एवार्डी को ध्यान में	कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ
	रखते हुए समग्र योजना के रूप में ढांचे के	XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके
	अन्तर्गत तैयार किया जाना चाहिए और	कार्यान्वयन किया गया था।
	उस पर विचार किया जाना चाहिए ।	
3	3.5 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित क्षेत्रों	जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण :
	और बेसिनों की आवश्यकता को ध्यान में	इसमें दो घटक मौजूद हैं - "राष्ट्रीय जल विकास
	रखते ह्ए जल की कमी वाले क्षेत्रों को	अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए), द्वारा नदी संपर्क प्रस्तावों
	अन्य क्षेत्रों से जल अंतरण द्वारा जल	का अन्वेषण करना" तथा "सीडब्ल्यूसी द्वारा जल
1		संसाधन बह्-उद्देशीय स्कीमों का अन्वेषण करना।"

नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल का अंतरण भी शामिल हो।

6.5 ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों के लाभ हेतु, जहां जनजातियों अथवा सामाजिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे समाज के पिछड़े वर्गों की आबादी है, परियोजनाओं के अन्वेषण और प्रतिपादन के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, क्षेत्रिय अन्वेषण, पूर्ण व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना तथा जल के अंतः बेसिन अंतरण संबंधी स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्त करने हेतु प्रासंगिक, अनुपूरक अथवा लाभदायक समझी जाने वाले अन्य अध्ययन और कार्यकलाप करना है। स्कीम के अंतर्गत एक मत्वपूर्ण कार्यकलाप नदियों से परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजना का आवश्यक अन्वेषण एवं आयोजना करना है।

इस स्कीम को पूर्व की योजना अवधियों के दौरान भी कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके कार्यान्वयन किया गया था।

25. जल संसाधनों के प्रभावी और किफायती प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देकर अनेक दिशाओं में ज्ञान के क्षेत्र में और अधिक वृद्धि करने की आावश्यकता है।

अन्संधान एवं विकास :

स्कीम के उद्देशयों में (i) देश की जल संसाधनों से संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य हल निकालना, तथा विद्यमान सुविधाओं की दक्षता में सुधार करने के लिए अनुसंधान संबंधी अध्ययनों को विशेषतः प्रारंभ करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में सुधारकरना, (ii) आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधान संगठनों की अनुसंधान सुविधाओं को सृजितः उन्नत करना तथा (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रारंभ किए गए अनुसंधान कार्यों में सहायता करना शामिल है।

इस स्कीम को पूर्व की योजना अवधियों के दौरान भी कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके कार्यान्वयन किया गया था।

16.1 जल के विभिन्न उपयोगों के समुपयोजन की क्षमता को इष्टतम बनाया जाना चाहिए तथा जल संसाधनों की दुर्लभता के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षा, नियमन, पुरस्कार एवं दंड के माध्यम से जल संरक्षण चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए।

सूचना, शिक्षा एवं संचार :

स्कीम के मुख्य उद्देश्यों में (i) जल दक्षता संबंधी उपायों को अपनाने के लिए राष्टीय जल नीतिके नियमों की पैरवी करना, (ii) उपलब्ध जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करनी आवश्यकता के बारे में बारे में लोगों में जागरूकता लाना, (iii) वर्तमान और भविष्य में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, (iv) जल का संतुलन बनाए रखने तथा

जनसंख्या हेतु जल की आवश्यकता पूरी करने के लिए परंपरागत जल निकायों के महत्व पर ध्यान देना, (v) जल के संरक्षण हेतु जन आंदोलन करना तथा जल की बजच हतु विभिन्न उपायों को ऐच्छिक रूप से अपनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना।

इस स्कीम को 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया।

24. भंडारण बांधों तथा जल से संबंधित अन्य संरचनाओं की स्रक्षा स्निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपयुक्त संगठनात्मक प्रबंध, जिसमें अन्वेषण, डिजाईन, निर्माण, जल विज्ञान, भू-विज्ञान आदि के विशेषज्ञ शामिल हों, किए जाने चाहिए। विद्यमान बांधों का उचित निरीक्षण, रखरखाव एवं निगरानी करने और नये बांधों की स्रक्षा के लिए उचित आयोजना अन्वेषण, डिजाईन एवं निर्माण स्निश्चित करने के लिए एक बांध स्रक्षा कानून बनाना चाहिए। इस विषय के मार्गदर्शी सिद्धांतों को आवधिक रूप से अद्यतन और पुन: तैयार किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा इसकी लगातार निगरानी करने और नियमित दौरे करने की व्यवस्था हेत् एक प्रणाली होनी चाहिए।

बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना :

स्कीम में बांध सुरक्षा संबंधी आवश्यक अध्ययनों को प्रारंभ करने तथा बांध सुरक्ष संगठन हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करने की परिकल्पना की गई है।

इस स्कीम को पूर्व की योजना अवधियों के दौरान भी कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके कार्यान्वयन किया गया था।

7.1 उपलब्ध जल की गुणवत्ता एवं इसे निकाले जाने की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए भू-जल क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से समय-समय पर प्नर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

7.2 भू-जल संसाधनों के दोहन को इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए कि वह पुनर्भरण संभावनाओं से अधिक न हो और सामाजिक समानता को भी सुनिश्चित कर सके। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भूजल के अति दोहन के हानिकारक पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावशाली ढंग से रोकने की आवश्यकता है। भूजल संसाधनों की गुणवत्ता और

भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन : स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :

- भूमि जल प्रबंधन अध्ययनों को पूरा करना ;
- भूमि जल प्राप्त होने की संभावना वाले क्षेत्रों में
 ड्रिलिंग द्वारा भू-जल अन्वेषण करना ;
- देश में भूमि जल संसाधनों का आवधिक आकलन करना तथा पद्धति में सुधार/अद्यतनीकरण करना :
- भूमि जल प्रेक्षण कुओं द्वारा भूमि जल स्तरों और गुणवत्ता की निगरानी करना ;
- क्षेत्र विशिष्ट पद्धितयों को विकसित/अद्यतन करने के लिए प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण तथा वर्षा जल संचयन अध्ययन करना;
- भूमि जल आंकड़ों का संग्रहण, संसाधित तथा

उपलब्धता दोनों में सुधार करने के लिए भू-जल पुनर्भरण परियोजनाओं को विकसित एवं कार्यान्वित किया जाए।

7.3 परियोजना की आयोजन-अवस्था से ही सतही और भू-जल के एकीकृत एवं समन्वित विकास और उनके संयुक्त उपयोग की योजना बनाई जानी चाहिए तथा उसे परियोजना कार्यान्वयन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

7.4 विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के निकट भूजल का अत्यधिक मात्रा में दोहन न किया जाए ताकि मीठे जल के जलभृतों में समुद्री जल के प्रवेश को रोका जा सके। प्रसारित करनेके लिए आंकड़ा संग्रहण तथा सूचना प्रणाली को स्थापित/अद्यतन करना;

- राज्य सरकारों के समन्वय से भूमि जल विकास का विनियमन और नियंत्रण करना ;
- भूमि जल अन्वेषण, कृत्रिम पुनर्भरण इत्यादि हेतु संभावित जलभृतों का पता लगाने और समुचित स्थानों को अभिज्ञात करने के सतही और उप सतही पद्धतियों द्वारा भू-भौतिकी अध्ययन करना।;
- भूमि जल अध्ययनों के लिए बैंचमार्क पद्धतियों को स्थापितकरने के मद्देनजर राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना;
- जल गुणवत्ता चेतना के लिए जागरूकता बढ़ाना ;
- भूमि जल बचत और सांझेदारी संबंधी पहलुओं पट वैज्ञानिक संस्थानों से संपर्क बढ़ाना ;
- कृषि, औद्योगिक और संबद्ध प्रयोजनों सिहत विभिन्न प्रकार के उपयोगों के औचित्य के निर्धारण के लिए भूमि जल गुणवत्ता का आकलन करना
- आयोजन कों और प्रशासकों द्वारा भूमि जल के उपयोग हेतु रिपोर्ट, मानचित्र भूमि जल एटलसों तथा प्स्तिकाओं को तेयार करना।

इस स्कीम को पूर्व की योजना अवधियों के दौरान भी कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके कार्यान्वयन किया गया था।

6.7 जल से संबंधित अधिकतर परियोजनाओं में लगने वाले समय और लात में वृद्धि तथा उनसे लाभों में हाने वाली कमी को दूर करने के लिए परियोजना तैयारी और प्रबंधन ग्णवत्ता को बेहतर बनाकर इस समस्या पर काबू पाया जाना चाहिए। चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते ह्ए, प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का अन्कूलतम आबंटन कर, परियोजनाओं में

त्विरत सिंचाई लाभ कार्यक्रम : पूरा होने की अग्रिम अवस्था में कुछ अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का मृजन करने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करने हेतु त्विरत सिंचाई लाभ कार्यक्रम(एआईबीपी) प्रारंभ करना।

वर्ष 1996-97 के दौरान एआईबीपी स्कीम प्रारंभ की गई थी तथा अभी तक इसका कार्यान्वयन जारी है।

	निधि संबंधी होने वाली कमी का निराकरण	
	किया जाना चाहिए।	
	। विश्वा जाना चाहिए।	
9	16.2 जल के अधिकतम अवधारण, प्रदूषण निवारण एवं जल की हानि को न्यूनतम करके संसाधनों को संरक्षण किया जाना चाहिए और उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए, जहां कहीं संभंव हो, वाहक प्रणालियों में चयनात्मक अस्तरण, विद्यमान प्रणालियों जिसमें तालाब भी शामिल है का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना, उपचाहित बहि:स्राव का पुनंचक्रण एवं पुनंउपयोग तथा मिल्चंग अथवा घट सिंचाई जैसी परंपरागत	स्कीम का उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमताओं का पुनरूद्धार और संवर्धन करना तथा इसकी खोई सिंचाई क्षमता को पुनः प्राप्त करना तथा बढ़ाना भी था।
	तकनीकों और ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी नई तकनीकों को अपनाने सहित, जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।	
10	9.4 सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास किये जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सभी सिंचाई परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।	कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) : सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग की गति बढ़ाना तथा कृषि उत्पादक और उत्पादन में स्थायी आधार पर सुधार करना कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में केंद्र प्रायोजित स्कीम के तौर पर प्रारंभ किया गया था और अब तक कार्यान्वित किया जा रहा है।
11	17.1 प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक महा योजना (मास्टर प्लान) होनी चाहिए। 17.3 यद्यपि तटबंधों और डाइकों जैसे भौतिक बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी रखने जरूरी होंगे, तथापि, हानि को कम से कम करने और बाढ़ राहत पर बार-बार होने वाले खर्च को कम करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी, बाढ़ मैदानी जोनिंग और बाढ़ रोधन जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर भी और अधिक बल देना होगा।	बाढ़ प्रबंधनः गंभीर क्षेत्रों, जिनके लिए सभी अनिवार्य स्वीकृतियां ले ली गई हैं, में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी कार्य, समुद्री कटाव रोधी कार्य, जल निकासी विकास, बाढ़ रोधन, बाढ़ प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्षेत्रिस्त प्रबंधन कार्यों के पुनरूद्धार आदि के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता देना। यह स्कीम 1-4-2007 से प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान नेटवर्क को सुदृढ़ करना और उनमें सुधार करना तथा पूर्वानुमान सूचना प्रणाली विकसित करना।

26. मानकीकृत प्रशिक्षण के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना जल संसाधन विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में होनी चाहिए। इसमें सूचना प्रणालियों, क्षेत्रीय आयोजना, परियोजना आयोजना एवं प्रतिपादन, परियोजना प्रबंध, परियोजनाओं तथा उनकी भौतिक संरचनाओं और प्रणालियों का प्रचालन तथा जल वितरण प्रणालियों के प्रबंध में प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। इस प्रशिक्षण में किसानों सित इन गतिविधियों में शामिल सभी वर्गों के कार्मिकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके कार्यान्वयन किया गया था।

राष्ट्रीय जल अकादमी : इस स्कीम में राज्यों और केंद्रीय संगठनों के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन तथा विशेषकर एकीकृत नदी बेसिन आयोजन एवं प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े सेवाकालीन इंजिनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान : इस स्कीम में भूमि जल संसाधनों की आयोजना, अन्वेषण, विकास, प्रबंधन, संवर्धन संरक्षण और सुरक्षा में भूमि जल पेशेवरों के ज्ञान और कौशल प्राप्त करने और उसे बढ़ाने के लिए आधार प्रदान करना है।

इस स्कीम को पूर्व की योजना अवधियों के दौरान भी कार्यान्वित किया गया था तथा 1-4-2007 को प्रारंभ XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी समीक्षा करके कार्यान्वयन किया गया था।